

प्राधिकरण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश

संख्या ए-27102/02/2017-स्थापना (एएल) 16 अगस्त 2017 के अनुसार

(यह आदेश दिनांक 01 जुलाई 2017 से प्रभावी होगा)

Authority vide government of India ministry of personal P.G and Department of personal & training New Delhi Order No. A-27102/02/2017-Estt. (AL) 16 August 2017

(This order shall be effective from 01 July 2017)

**संस्थान/विद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रमाण-पत्र
(सीईए प्रतिपूर्ति हेतु)**

संदर्भ सं.....

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी _____, प्रवेश सं.
_____ जन्मतिथि _____ श्री/श्रीमती _____ का/की पुत्र/पुत्री है,
वास्तव में वह इस विद्यालय/संस्था का छात्र है तथा उसने पिछले शैक्षणिक वर्ष अर्थात्
_____ के दौरान कक्षा _____ सेक्शन _____ रोल नं. _____ में संबद्धता पंजीकरण
संख्या/कोड _____ तथा _____ पाठ्यक्रम पैटर्न के अनुसार
अध्ययन किया है।

स्थान: _____

दिनांक: _____

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर
(विद्यालय की मोहर)

**CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION/SCHOOL
(FOR REIMBURSEMENT CEA)**

Ref. No.....

Date:

It is certified that Master/Kumari _____ having Admission
No _____ D.O.B. _____ Son/Daughter of Mr./Mrs. _____
is a bonafide student of this school/Institution and studied in Class _____ Sec _____ Roll No. _____
during the previous Academic year namely _____ vide affiliation Regd.
No./Code _____ and pattern _____ curriculum.

Place: _____

Date: _____

Signature of principal
(Affix School Stamp)

स्वघोषणा

में _____ एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पुत्र/मेरी पुत्री _____ ने पिछले शैक्षणिक वर्ष _____ के दौरान _____ विद्यालय में कक्षा _____ सेक्शन _____ रोल नं. _____ में अध्ययन किया है।

उपरोक्त विवरण में यदि कोई परिवर्तन होता है जो संतान शिक्षा भत्ते (सीईए) हेतु मेरी पात्रता को प्रभावित करता है, तो मैं इसकी सूचना तुरंत देने तथा मुझे किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान को वापस लौटाने का वचन देता/देती हूँ।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम: _____

पदनाम: _____

स्थान: _____

दिनांक: _____

SELF DECLARATION

I _____ do hereby certify that my Son/Daughter namely _____ Studied in Class _____ Sec _____ Roll No. _____ during previous Academic Year _____ in _____ School.

In the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for Children Education Allowance. I undertake to intimate the same promptly and refund excess payment, in any made to me.

Signature of Govt. Servant

Name: _____

Designation: _____

Place: _____

Date: _____

संतान शिक्षा भत्ते (सीईए) की प्रतिपूर्ति हेतु प्रपत्र
FORM FOR RE-IMBURSEMENT OF CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE

शैक्षणिक वर्ष हेतु दावा/ Claim for the academic year:

मैं एतद्वारा अपनी संतान/संतानों के लिए संतान शिक्षा भत्ता/छात्रावास सहायता राशि की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करता हूँ तथा संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:-

I hereby apply for the reimbursement of Children Education Allowance / Hostel Subsidy for my child/children and relevant particulars are furnished below: -

1.	सरकारी कर्मचारी का नाम/ Name of the Govt. Servant	:			
2.	वैयक्तिक नंबर/ Personal No.	:			
3.	पदनाम/ Designation	:			
4.	एकक का नाम/ Name of the Unit	:			
5.	यदि पति/पत्नी कार्यरत है तो उल्लेख करें कि वह किसके अधीन है, केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, भारत सरकार (पति/पत्नी के नाम सहित विवरण प्रदान करें) / If Spouse is employed, state whether in Central Govt., PSU, State Govt. (give details with name of the Spouse)	:			
6.	यदि पति/पत्नी कार्यरत है तो पति/पत्नी का पदनाम, कार्यालय और बी.यू. संख्या का विवरण प्रदान करें / Designation, Office & B.U. No. of spouse, if spouse is employed	:			
7.	संतान/संतानों का विवरण जिसके लिए संतान शिक्षा भत्ता/छात्रावास अनुदान का दावा किया गया:- Details of the child/children for whom CEA /Hostel Subsidy Claimed: -				
	क्रम Sequence	संतान का नाम Name of Child	जन्म की तारीख Date of Birth	कक्षा (वि.वर्ष.....) Standard (A.Y.)	विद्यालय/संस्थान का नाम व स्थान Name & Place of the School/Institution
	प्रथम संतान 1 st Child				
	द्वितीय संतान 2 nd Child				

8. व्यय की प्रतिपूर्ति/ Reimbursement of expenditure

क्रम Sequence	अवधि Period	सीईए की दर (₹. में) Rate of CEA (Rs.)	दावा की गई राशि Amount Claimed	टिप्पणी Remarks
प्रथम संतान 1 st Child				
द्वितीय संतान 2 nd Child				
दावा की गई कुल राशि (₹)/Total amount claimed (Rs.)				

9. कर्मचारी के निवास से बच्चे के छात्रावास की दूरी (छात्रावास अनुदान के मामले में)
Distance of Hostel of Child from residence of employee (in case Hostel Subsidy)

10. पिछली तिमाही तक पहले ही प्राप्त हो चुकी सीईए/छात्रावास अनुदान की राशि
Amount of CEA/ Hostel Subsidy already received up to previous quarter

11. वह शैक्षणिक वर्ष जिसके लिए सीईए/छात्रावास अनुदान हेतु आवेदन किया गया है
The academic year for which CEA/Hostel subsidy is applied now

12. (क) क्या वह बच्चा दिव्यांग है जिसके लिए सीईए हेतु आवेदन किया गया है: हां/ नहीं
(a) Whether the child for whom the CEA is applied for is a disabled child: Yes/ No

(ख) यदि हां तो दिव्यांगता की प्रकृति का उल्लेख करें:

(b) If yes, indicate the nature of disability:

(ग) दिव्यांगता प्रमाणपत्र की तिथि:

(c) Date of disability certificate:

(घ) दिव्यांगता के प्रतिशत का उल्लेख करें:

(d) Indicate the percentage of disability:

13. क्या संस्थान प्रमुख द्वारा वास्तविक प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है: हां/ नहीं
Whether the Bonafide certificate from Head of Institution has been attached: Yes / No

14. क्या छात्रावास सहायता राशि के उल्लेख सहित वास्तविक प्रमाणपत्र संलग्न है:
For Hostel Subsidy, the Bonafide certificate from mentioning the amount is attached:

15. यदि क्रम सं. 14 पर हां है तो छात्रावास अनुदान हेतु दावा की गई राशि: रुपये
If Yes at item no. 14, Amount Claimed for Hostel Subsidy: Rs.....

(क) प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं या मेरी पत्नी/पति केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं/ नहीं हैं।

(a) Certified that I or my wife / husband is / is not a Central Government servant.

(ख) प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी पत्नी/मेरे पति श्री/ श्रीमती वर्तमान में
..... में पद पर कार्यरत है और
वह ऊपर उल्लिखित संतान/संतानों के लिए संतान शिक्षा भत्ते के लिए आवेदन नहीं करेंगे/ नहीं किया है।

(b) Certified that my wife / husband Shri/ Smt. is presently working
as: inand that he / she
shall not apply / has not applied for the Children Education Allowance for the child/children mentioned above.

(ग) प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने या मेरी पत्नी/ मेरे पति ने किसी अन्य स्रोत से इस प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है
और भविष्य में भी इसका दावा नहीं करेंगे।

(c) Certified that I or my wife / husband has not claimed this re-imburement from any other source and will not
claim the same in future.

17. प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी संतान जिसके संबंध में संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन किया गया है वह उस विद्यालय/ कनिष्ठ महाविद्यालय में अध्ययनरत है जो शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त और संबद्ध है।

Certified that my child in respect of whom reimbursement of Children Education Allowance is applied is studying in the School / Jr. College which is recognized and affiliated to Board of Education / University.

18. प्रमाणित किया जाता है कि मैं दो ज्येष्ठ जीवित बच्चों से संबंधित संतान शिक्षा भत्ता का दावा कर रहा हूँ, ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है और मैंने कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं छिपाई है। ऊपर दिए गए विवरणों में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में जो बच्चों की शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए मेरी पात्रता को प्रभावित करता है, मैं तुरंत इसकी सूचना देने और यदि कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया है तो उसे वापस करने का वचन देता हूँ। इसके अलावा, मुझे पता है कि यदि किसी भी स्तर पर ऊपर दी गई जानकारी / दस्तावेज झूठे पाए जाते हैं, तो मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ।

Certified that I am claiming the CEA in respect of my two eldest surviving children only, the information furnished above are complete and correct and I have not suppressed any relevant information. In the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for reimbursement of Children Education Allowance, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payments if any made. Further, I am aware that if at any stage the information / documents furnished above is found to be false, I am liable for disciplinary action.

दिनांक/Date: _____

स्थान/Place: _____

(सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर)

(Signature of Govt. Servant)

नाम/Name:

पदनाम/Designation: